

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**:: आदेश ::**

का0आ0-24/बि0स0से0-10-08/2025 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....

वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-10543 दिनांक 10.06.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों एवं परिपत्रों के आलोक में बिहार लिपिकीय सेवा के उच्चवर्गीय लिपिक से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नत निम्नांकित कर्मियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2025 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने स्तंभ-3 में अंकित तिथि से अपुनरीक्षित वेतनमान वेतन बैण्ड-रू0 9300-34800/- + ग्रेड वेतन-रू0 5400/-, पुनरीक्षित वेतन स्तर-9 एवं अपुनरीक्षित वेतनमान वेतन बैण्ड-रू0 15600-39100/- + ग्रेड वेतन-रू0 6600/-, पुनरीक्षित वेतन स्तर-11 में तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	नाम/पदनाम/वरीयता क्र0/ जन्म तिथि/से0नि0 की तिथि/विभाग का नाम	तृतीय रूपांतरित वित्तीय उन्नयन (एम0ए0सी0पी0) की तिथि
1	2	3
1	श्री विश्वनाथ प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, 282/19 05.09.1960/30.09.2020 महाधिवक्ता कार्यालय।	सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक संख्या-9115 दिनांक 18.08.2021 द्वारा प्रदत्त तृतीय एम0ए0सी0पी0 (दिनांक 02.05.2019) की संशोधित तिथि 03.04.2015 स्वीकृत।
2	श्री प्रमोद कुमार प्रजापति, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, 2934/25 26.04.1975/30.04.2035 मुख्य अभियंता कार्यालय, सिचाई सृजन, जल संसाधन विभाग।	16.12.2025
3	श्री संजय नारायण मिश्र, प्रशाखा पदाधिकारी, 1407/23 07.01.1972/31.01.2032 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग।	11.01.2026
4	श्री राजेन्द्र शर्मा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, 1693/24 18.12.1971/31.12.2031 जल संसाधन विभाग।	28.12.2025

-धर्म

१

5	श्री धीरजकांत सिन्हा, प्रशाखा पदाधिकारी, 1315/24 21.12.1974/31.12.2034 जल संसाधन विभाग।	14.12.2025
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

2. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक 23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण यथास्थिति मौलिक नियमावली के नियम 22 (I) ए (II), वित्त विभागीय संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 अथवा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590 दिनांक 24.05.2017 में निहित प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

3. उपर्युक्त के आलोक में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उक्त कर्मियों को प्रदत्त एम0 ए0 सी0 पी0 के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

ह0/-

(केशव कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-24/बि0स0से0-10-08/2025 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार पटना/सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन/विकास भवन/सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-24/बि0स0से0-10-08/2025 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों/सम्प्रति प्रशाखा पदाधिकारियों को अपने स्तर से आदेश की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-24/बि0स0से0-10-08/2025 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव (वरीय प्रभार, बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग)/उप सचिव (प्रभारी, बिहार सचिवालय सेवा)/प्रधान सचिव के आप्त सचिव तथा प्रशाखा पदाधिकारी-15, 16, 17, 24 एवं स्थापना प्रशाखा, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

स

१/२

ज्ञापांक-24/बि0स0से0-10-08/2025 सा0 प्र0.....पटना-15, दिनांक .....

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (वि0वै0दा0नि0को0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-24/बि0स0से0-10-08/2025 सा0 प्र0.....5231.....पटना-15, दिनांक 18.03.26

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18

18.03.2026

सरकार के संयुक्त सचिव